पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-595
दिनांक 13/04/2026

जोन- दक्षिणी/ थाना- मोहनलालगंज।

- लूट के वांछित अभियुक्त की सफल गिरफ्तारी
- पूर्व में गिरफ्तार अभियुक्तों के बाद फरार आरोपी भी पकड़ा गया
- कार पार्किंग विवाद से उपजी घटना, मारपीट के बाद लूट
- लाइसेंसी रिवाल्वर, मोबाइल व सोने की चेन लूटने का आरोप
- किसान पथ के पास से अभियुक्त को देर रात गिरफ्तार किया गया
- अभियुक्त का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास दर्ज

01-कार्यवाही :-

श्रीमान पुलिस आयुक्त लखनऊ श्री अमरेन्द्र सिंह सेंगर के निर्देशानुसार अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत, पुलिस उपायुक्त, दक्षिणी श्री अमित आनन्द के कुशल पर्यवेक्षण, अपर पुलिस उपायुक्त श्री रल्लापल्ली बसंथ कुमार एवं सहायक पुलिस आयुक्त मोहनलालगंज श्री विकास कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन में प्रभारी निरीक्षक मोहनलालगंज श्री ब्रजेश कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा लूट के एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

02-घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक **07.04.2026** को वादी हेमन्त सोनी पुत्र राजेन्द्र कुमार सोनी निवासी तेलीबाग, थाना पीजीआई, लखनऊ द्वारा थाना मोहनलालगंज पर सूचना दी गई कि दिनांक **06.04.2026** को होटल एंट्रास में आयोजित एक पारिवारिक कार्यक्रम (मुंडन संस्कार) में शामिल होने के पश्चात लौटते समय रात्रि लगभग **10:30** बजे कार बैक करने को लेकर विपक्षीगण से विवाद हो गया।

आरोप है कि आरोपीगण द्वारा वादी एवं उसके भाई शंकर सोनी की गाड़ी को स्विफ्ट डिजायर कार से रोककर दोनों को जबरन खींचकर डंडों से मारपीट की गई तथा वादी का लाइसेंसी रिवाल्वर, सैमसंग मोबाइल फोन एवं गले में पहनी सोने की चेन छीन ली गई।

इस संबंध में थाना मोहनलालगंज पर मु**0**अ**0**सं**0 132/26** धारा **309(6) BNS** के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। नामित अभियुक्तों में से अन्य को पूर्व में गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका था, जबकि अभियुक्त निखिल सिंह उर्फ प्रिन्स फरार चल रहा था। दिनांक **13.04.2026** को समय करीब **01:20** बजे पुलिस टीम द्वारा किसान पथ के पास से अभियुक्त निखिल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया तथा आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-596
दिनांक-13.04.2026

जोन- पश्चिमी/ थाना-वजीरगंज

टावर पर चढे व्यक्ति व उसको उकसाने वाली उसकी पत्नी को थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार।

- **सिविल कोर्ट के पास टावर पर चढ़कर हंगामा करने वाला व्यक्ति गिरफ्तार**
- **पत्नी द्वारा लगातार उकसाने पर स्थिति हुई गंभीर**
- **पुलिस व फायर सर्विस की संयुक्त कार्रवाई से सुरक्षित उतारा गया**
- **पूर्व में भी कई बार इसी प्रकार की घटना को दे चुका है अंजाम**

01-कार्यवाही-

आज दिनांक 13.04.2026 को थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए सिविल कोर्ट गेट नं. 2 के सामने स्थित मोबाइल टावर पर चढ़कर आत्मघाती स्थिति उत्पन्न करने वाले व्यक्ति एवं उसे उकसाने वाली उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया गया।

02-संक्षिप्त विवरण-

आज दिनांक 13/04/2026 को उपनिरीक्षक विनोद कुमार सिंह मय हमराह उ0नि0 प्रशान्त सिंह व का0 विजयपाल सिंह के देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति, जांच प्रार्थना पत्र, पेंडिंग विवेचना व रोकथाम जुर्म-जरायम में मामूर थे कि थाना कार्यालय से सूचना प्राप्त हुई कि सिविल कोर्ट गेट नं 0-2 के सामने एक व्यक्ति मोबाइल टावर पर चढ़ गया है।

सूचना पर तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां एक व्यक्ति **राजू सैनी** टावर पर चढ़ा हुआ मिला तथा नीचे उसकी पत्नी **भावना सैनी** मौजूद थी। पूछताछ के दौरान राजू सैनी द्वारा परिवहन विभाग एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए **उच्च प्रशासनिक अधिकारियों एवं विभागीय अधिकारियों व अन्य अधिकारियों** को मौके पर बुलाने की जिद की जा रही थी तथा वह अपने कृत्य का कोई स्पष्ट कारण नहीं बता रहा था।

समझाने के प्रयास के बावजूद आत्मघाती कदम उठाने की धमकी -पुलिस द्वारा काफी समझाने-बुझाने का प्रयास किया गया, किन्तु वह नीचे उतरने को तैयार नहीं हुआ तथा ऊपर से कूदकर आत्महत्या करने की धमकी देने लगा। मौके पर मौजूद **उसकी पत्नी भावना सैनी** द्वारा भी उसे **शांत कराने के बजाय लगातार टेलीफोनिक माध्यम से उकसाया जाता रहा**, जिससे स्थिति और अधिक गंभीर हो गई।

फायर सर्विस की सहायता से सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया नीचे -स्थिति की गंभीरता को देखते हुए फायर सर्विस की हाइड्रोलिक सीढ़ीयुक्त गाड़ी की सहायता से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। कड़ी मशक्कत के बाद राजू सैनी को सुरक्षित नीचे उतारा गया।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-599
दिनांक- 13.04.2026

जोन- उत्तरी / थाना माल

- **थाना माल पुलिस टीम द्वारा 01 नफर वारण्टी/अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-संक्षिप्त विवरण:-

माननीय न्यायालय विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय लखनऊ द्वारा निर्गत गैर जमानती वारण्ट वाद संख्या 33533/16 मु0अ0सं0 99/2015 धारा 352/504 भादवि थाना माल से सम्बन्धित वारण्टी अभियुक्त अरमान पुत्र उस्मान नि0 ग्राम बसनाखेड़ा मजरा थरी थाना माल जनपद लखनऊ को मुखबिर खास की सूचना पर वारण्टी के घर ग्राम बसनाखेड़ा माल से गिरफ्तार किया गया, वारंटी उपरोक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय से अग्रिम एवं विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-अपराध का उद्देश्य:-

वारण्टी अभियुक्त (33533/16 मु0अ0सं0 99/2015 धारा 352/504 भादवि थाना माल)

03-गिरफ्तार वारण्टी का विवरण:

अरमान पुत्र उस्मान नि0 ग्राम बसनाखेड़ा मजरा थरी थाना माल जनपद लखनऊ उम्र 29 वर्ष (मजदूरी)

04-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम थाना माल जनपद लखनऊ

1. उ0नि0 श्री मान्धाता सिंह
2. म0उ0नि0 श्री राजाबाबू विश्वकर्मा

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-594
दिनांक -13/04/2026

जोन- दक्षिणी/थाना बिजनौर

- थाना बिजनौर पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

01-संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 03.09.2025 को वादी श्री ज्ञानेन्द्र कुमार पुत्र श्री राम शंकर अग्निहोत्री निवासी म0 नं0 -70 कोऑपरेटिव सोसायटी प्रिति विहार कॉलोनी बिजनौर लखनऊ की लिखित तहरीर बावत नामित अभियुक्त राघवेन्द्र सिंह उर्फ नितिन सिंह निवासी ग्राम बीबीपुर पोस्ट फूलपुर जिला इलाहाबाद द्वारा हाईकोर्ट में नौकरी दिलाये जाने के नाम पर वादी मुकदमा से रुपये लेकर धोखाधड़ी किये जाने के सम्बन्धी मु0अ0सं0- 0269/2025 धारा- 406/420 भादवि पंजीकृत कराया गया था।

जिसमें विवेचना के दौरान मुकदमा उपरोक्त में साक्ष्य संकलन के आधार पर धारा 406 भादवि की घटोत्तरी व धारा 467/468/471 भादवि की बढ़ोत्तरी की गयी। अभियुक्त उपरोक्त की गिरफ्तारी हेतु उच्चाधिकारी से गैर जनपद जाने की अनुमति प्राप्त कर अभियुक्त रावेन्द्र सिंह उर्फ नितिन सिंह उपरोक्त के पते गद्दोपुर, शान्तिपुरम थाना फाफामऊ, प्रयागराज जाकर दिनांक **12/04**/2026 को समय करीब 17.30 बजे गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही पूर्ण कर आज दिनांक 13/04/2026 को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

02-मॉड्यस ऑपरेंडी:-

अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा को हाईकोर्ट इलाहाबाद में सरकारी नौकरी में नौकरी दिलाने का झांसा देकर कूटरचित ज्वाईनिंग लेटर देकर पैसा हड़पना।

03-अनावरित अभियोग-

01-मु0अ0सं0 269/2025 धारा 420/467/468/471 IPC, थाना बिजनौर लखनऊ

04-गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

01-रावेन्द्र सिंह उर्फ नितिन सिंह उम्र करीब 37 वर्ष पुत्र जय प्रताप सिंह नि0-बीबीपुर, थाना फूलपुर, इलाहबाद हालपता-गद्दोपुर, शान्तिपुरम थाना फाफामऊ, इलाहाबाद

05-आपराधिक इतिहास-

02-मु0अ0सं0 425/2017 धारा 419/420/467/468/471/170/120B/34 IPC थाना विवेक बिहार शहादरा दिल्ली।

06-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

01-उ0नि0 गजय सिंह थाना बिजनौर लखनऊ
02-उ0नि0 तेजवीर सिंह थाना बिजनौर लखनऊ
03-का0 निरजेश यादव थाना बिजनौर लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-594
दिनांक -13/04/2026

जोन- दक्षिणी/थाना बिजनौर

- **थाना बिजनौर पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 03.09.2025 को वादी श्री ज्ञानेन्द्र कुमार पुत्र श्री राम शंकर अग्निहोत्री निवासी म0 नं0 -70 कोऑपरेटिव सोसायटी प्रिति विहार कॉलोनी बिजनौर लखनऊ की लिखित तहरीर बावत नामित अभियुक्त राघवेन्द्र सिंह उर्फ नितिन सिंह निवासी ग्राम बीबीपुर पोस्ट फूलपुर जिला इलाहाबाद द्वारा हाईकोर्ट में नौकरी दिलाये जाने के नाम पर वादी मुकदमा से रुपये लेकर धोखाधड़ी किये जाने के सम्बन्धी मु0अ0सं0- 0269/2025 धारा- 406/420 भादवि पंजीकृत कराया गया था।

जिसमें विवेचना के दौरान मुकदमा उपरोक्त में साक्ष्य संकलन के आधार पर धारा 406 भादवि की घटोत्तरी व धारा 467/468/471 भादवि की बढ़ोत्तरी की गयी। अभियुक्त उपरोक्त की गिरफ्तारी हेतु उच्चाधिकारी से गैर जनपद जाने की अनुमति प्राप्त कर अभियुक्त रावेन्द्र सिंह उर्फ नितिन सिंह उपरोक्त के पते गद्दोपुर**,** शान्तिपुरम थाना फाफामऊ**,** प्रयागराज जाकर दिनांक **12/04**/2026 को समय करीब 17.30 बजे गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही पूर्ण कर आज दिनांक 13/04/2026 को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

02-मॉड्यूस ऑपरेंडी:-

अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा को हाईकोर्ट इलाहाबाद में सरकारी नौकरी में नौकरी दिलाने का झांसा देकर कूटरचित ज्वाईनिंग लेटर देकर पैसा हड़पना।

03-अनावरित अभियोग-

01-मु0अ0सं0 269/2025 धारा 420/467/468/471 IPC, थाना बिजनौर लखनऊ

04-गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

01-रावेन्द्र सिंह उर्फ नितिन सिंह उम्र करीब 37 वर्ष पुत्र जय प्रताप सिंह नि0-बीबीपुर , थाना फूलपुर , इलाहबाद हालपता-गद्दोपुर, शान्तिपुरम थाना फाफामऊ, इलाहाबाद

05-आपराधिक इतिहास-

02-मु0अ0सं0 425/2017 धारा 419/420/467/468/471/170/120B/34 IPC थाना विवेक बिहार शहादरा दिल्ली।

06-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

01-उ0नि0 गजय सिंह थाना बिजनौर लखनऊ

02-उ0नि0 [illegible] सिंह थाना बिजनौर लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-599

दिनांक- 13.04.2026

जोन- उत्तरी / थाना माल

- **थाना माल पुलिस टीम द्वारा 01 नफर वारण्टी/अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-सक्षिप्त विवरणः-

माननीय न्यायालय विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय लखनऊ द्वारा निर्गत गैर जमानती वा रण्ट वाद संख्या 33533/16 मु0अ0सं0 99/2015 धारा 352/504 भादवि थाना माल से सम्बन्धित वारण्टी अभियुक्त अरमान पुत्र उस्मान नि0 ग्राम बसनाखेड़ा मजरा थरी थाना माल जनपद लखनऊ को मुखबिर खास की सूचना पर वारण्टी के घर ग्राम बसनाखेड़ा माल से गिरफ्तार किया गया, वारंटी उपरोक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय से अग्रिम एवं विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-अपराध का उद्देश्यः-

वारण्टी अभियुक्त (33533/16 मु0अ0सं0 99/2015 धारा 352/504 भादवि थाना माल)

03-गिरफ्तार वारण्टी का विवरणः

अरमान पुत्र उस्मान नि0 ग्राम बसनाखेड़ा मजरा थरी थाना माल जनपद लखनऊ उम्र 29 वर्ष (मजदूरी)

04-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम थाना माल जनपद लखनऊ

1. उ0नि0 श्री मान्धाता सिंह
2. म0उ0नि0 श्री राजाबाबू विश्वकर्मा